न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–136/2023

शेख मोहम्मद हारून...वादी

बनाम

अफरोज आलम एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
05.03.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 14.08.2023 आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 14.08.2023 को आदेश 39 नियम 01, 02 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 14.08.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी एराजी सय तकरारी पर अपना हकियत की घोषणा कराने वास्ते एवं निबंधित बयनामा दस्तावेज को सेटिंग असाई करने के साथ साथ अन्य अनुतोषों हेतु लाया है। प्रतिवादीगण काफी दबंग व्यक्ति है। वादी के अस्वस्थ्या का नाजायज लाभ उठाने की नियत से वादी की आजाद हकियत एवं शांतिपूर्वक दखल कब्जें वाली एराजी से बेदखल करने की धमकी देना प्रारंभ कर दिये है। प्रतिवादीगण एराजी सय तकरारी को किसी दिगर व्यक्ति से बेचने की बातचीत एवं ग्राहक की तलाश कर रहे है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि एराजी सय तकरारी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध अंतरिम आदेश पारित करने की कृपा की जाय। सर्वे हाल खाता नंबर–20 मौजा मझरिया थाना नंबर–302 थाना शिकरपूर वर्तमान थाना मैनाटाण्ड़ (पुरुषोतम) सर्वेहाल खतिमान में शेख गफुर एवं दोस्त महम्मद वल्द मंहगु के नाम कूल एराजी 5 बिगहा 6 कट्ठा 17 धुर जिसमे तकरारी खेसरा 392 भी शामिल है दर्ज है, शेख गफुर को दो पुत्र शेख उल्फत एवं शेख हकीम पेदर मन मुई वो तीन दोख्ताराने हुसल बाँदी, ऐश बंदी वो अकलीमा हुई, शेख उलफत निःसंतान वफात कर गये शेख हकीम को दो पुत्र शेख फारुख, शेख हारून वादी वो तीन दुख्तरान बी.कुलसूम, वी.सायरा वो बी.खाइरुल हुई। शेख	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–136/2023

शेख मोहम्मद हारून...वादी

बनाम

अफरोज आलम एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 05.03.2025	फारूख के पुत्र नुर सेद आलम प्रतिवादी सं0.3 हैं बीबी अकलीमा निःसंतान वफात कर गई तथा हूसलबंदी के वारिभानो वो दोस्त मोहम्मद के वारिसनों का जिक्र करना जरूरी नही है ऐश ब0दी के दो पुत्र शेख एजाजूल वो शेख मजरे आलम बो एक लडकी कुरैया खातुन हुई। वादी का आगे कथन है कि अर्जी नालिश के मद –2 में हो गई जायदाद वादी के पेदर शेख अब्दुल हकीम के हक वो हिस्सा वो दखल कब्जा की जायदाद थी जिसको दिनांक 1–1–1984 को महम्मद फारूख वो शेख हारून वादी को मवाजी 1 विगहा 10 कठा 2 घुर 15 धुरकी सहित एराजी सय तकरारी खेसरा 392 निबंधित बख्शीश नामा दस्तावेज तहरीर वो तामिल कर दिया वो दखल कब्जा दे दिया । वाढी का पुनः कथन है कि उपरोक्त बख्शीशनम दस्तावेज में खेसरा 392 का 6 कठा रकबा दर्ज हो गया लेकिन कब्जा बख्शीशदार को 4 कठा पर ही मिला। वाही का पुनः कहना है कि मुदई वो इनके खास भाई शेख फारूखं मद न 0–2 एराजी में आधा–आधा बाँट लिए तथा दखल कब्जा में चले आए तथा मुदाई को जो हिस्सा मिला उससे फारूख वो इनके पुत्र मुहालह सं0 3,4,5 को कोई सरोकार नही रहा जिसमें से 16 धुर भूमि वादी शेख सगीर तथा सातुर देवान को क्रमशः 10 घुर वो 6 धुर विक्रि किया है। तथा बकिये । कठा 4 धुर जिसका तफसील मद–4 में दिया गया है वादी दखल कब्जा में चला आ रहा है। जिसमें वादी 8 पेंड आम का पेड जो करीब 10 वर्ष पुराना है जिसे वादी ने लगाया है। वादी का पुनः कथन है कि मुदलहंम बमेल साजिश मद न0–4 अर्जी नालिम को हड़पने की नियत से 2 किता रजिस्ट्री सुदे बयनामा दिनांक 24–4–2023 दस्तावेज से0 4892 मावजी 1 कठा 4 धुर मुद्दालय 04 बनाम मुद्दालय स0–3 वो दिगरे दस्तावेज सं0 4894 रकबा 1 ंर्जी 10 धूर नविस्ते मुå संख्या– 5 बनाम मुåसंå–3 दिखावटी,	

लगातार 05.03.2025	जाली, फरेबी बेअसर विनी किमत के एवं नजायज है। वाही का पुनः कथन है कि मुद्दालय संख्या– 3 ने एराजी सय तकरारी को दो किता रजिस्ट्री बयनामा दस्तावेजे दिनांक 6–5–2023 को 7 धुर बनाम मुद å संå–2 वो मवाजी 17 घुर बनाम मुद å–1 को तहरीर किया है जो जाली, फरेबी दस्तावेज है जिसके आधार पर मुहालह फरीक औवल को कब्जा प्राप्त नही हुआ और इस प्रकार वादी मुद्दालय न–0–4 भूमि पर हकियत व कब्जा की सम्पुष्टि के लिए उपरोक्त वाद दाखिल किया है। प्रतिवादी सं0–01 ता 03 अपने बयान तहरीरी दिनांक 8–2–2024 में कथन किया है कि शेख महंगु को मौजा मझरिया थाना पुरुषोत्तमपूर पå चम्पारण में भूमि अर्जित थी जो सर्वे के पूर्व ही पुत्र शेख गफुर वो शेख दोस्त महम्मद वो एक पुत्री वी. मोतीफन को छोड़ कर वफात कर गये तथा पुरुष सदस्य शेख गफुर वो दोस्त महम्मद के नाम शेख महगु कि भूमि का हाल सर्वे खतियान तैयार हुआ। प्रतिवादी का पुनः कथन है कि. वी. मोतीफन की शादी शेख जहीर से हुई जिनको एक पुत्र शेख ईशा वो एक पुत्री वी. इमाम बाँदी हुई तथा इसी इमाम बाँदी की शादी शेख गफुर के पुत्र शेख उलफत से हुई थी तथा वी. मोतीफन के वफात के बाद उनके पति शेख जहीर वल्द शेख बदर व पुत्र शेख इशा ने दिनांक 24.01.1953 को सब–जज मोतिहारी के न्यायालय में कूल खतियानी भूमि मवाजी 5 बिगहा 6 कव 17 धूर अन्दर खाता 20 मे अपने हिस्से के लिए बटवारा वाद सं0 19/29/1953–54 दाखिल किए जिसमें शेख दोस्त मोहम्मद, शेख उल्फत, शेख हकीम प्रतिवादी थे जो बाद में समन तामिला के बाद उपस्थित नही हुए तथा वाद दिनांक 19.70.1954 को एक पक्षीए डिक्री हुआ तथा इस डिकी में कूल भूमि में शेख गफुर के वारिसन के पक्ष में 2/5, दोस्त	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–136/2023

शेख मोहम्मद हारून...वादी

बनाम

अफरोज आलम एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 05.03.2025	महम्मद के पक्ष में 2/5 तथा वादिगण के पक्ष में 3/20 तथा मो. इमाम बाँदी के पक्ष में बकदर 1/20 अंश के निस्बत डिक्री पारिख हुआ। प्रतिवादी का पुनः कथन है कि उपरोक्त डिक्री के अनुसार खेसरा 392 में वी. ऐश बाँदी को मवाजी 2 कठा 14 घुर भूमि प्राप्त हुआ जिसपर वी. ऐश ब0दी के वफात के बाद उनके दो पुत्र वो एक पुत्री का संयुक्त हखल कब्जा हुआ तथा मौखिक बटवारा में खेसरा 392 में 1 कठा 4 धुर शेख एजाजूल को तथा 1 कठा 10 घुर भूमि मजरे आलम को प्राप्त हुआ। प्रतिवादी का पूनः कथन है कि शेख एजाजूल ने मावजी 1 कट्हा 4 धुर भूमि खेसरा 392 प्रतिवादी सं0–03 को जरसेमन लेकर निबंधित बयनामा दस्तावेज सं0–4892 दिनांक 24.04.2023 को विक्रि कर दखल कब्जा हे दिया तथा प्रतिवादी सं0–03 मवाजी 7 धुर भूमि जरसेमन लेकर प्रतिवादी सं0–02 को दिनांक 06.05.2023 को तथा शेष 17 धूर भूमि को निबंधित बयनामा दिनांक 06.05.2023 को ही प्रतिवादी सं0–01 को विक्रि कर दखल कब्जा दे दिया तथा बयदार की हैसियत से क्रेता हखल कब्जा में चले आ रही है। प्रतिवादी का पूवः कथन है कि प्रतिवादी सं0–5 ने मवाजी 1 कठ 10 धूर भूमि को जरसे मन लेकर प्रतिवादी सेठ–3 को निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक 24–4–2023 को विक्रि कर दखल कब्जा दे दिया है। प्रतिवादी गण का आगे कथन है कि विवाहित भूमि को लेकर प्रतिवादी सं0 4 व 5 के द्वारा फौजदारी मोकदमा वादी के द्वारा डरा धमका कर वाद सं0 1683६2023 दाखिल करवाया गया है जो निष्पादन हेतु लम्बित है। वाद के दौरान प्रतिवादी सेâ. 4 शेख एजाजूल की मृत्यु हो गई जिनके वरिसन प्रतिस्थापित हो गए हैं। इस प्रकार प्रतिवादी का कथन है कि वाही को प्रथम दृष्टया वाद नही है तथा तुला का संतुलन वादी के पक्ष में भी नही	

लगातार 05.03.2025	है तथा निषेधाना आवेदन खारिज किया जाता है तो वादी को कोई क्षति नही होगी। उपरोक्त वाद में विद्वान अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिदोहन हाखिल है। अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि मद0–2 अर्जी नालिश कि भूमि मुद्दई के पिता शेख अब्दुल हकीम के हक वो हिस्सा वो दखल कब्जा में प्राप्त हुआ था तथा मुदई वो इनके भाई शेख मोहम्मद फरुख के बीच हिस्सा में मिला। बादी तथा प्रतिवादी से0 3 ता 5 एक ही खानदान के हैं तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 क्रेता गण है। उभय पक्ष निबंधित बयनामा दस्तावेजों के आधार पर अपना–अपना दावा पेश कर रहे हैं तथा इन हस्तावेजों पर अभी पूर्ण विचारण करना संभव नही है। तथा वादी के वाद–पत्र पर गुण–दोष के आधार पर न्याय निर्णय करना पूर्ण विचारण के बाद ही संभव है। वाद–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट नही होता है खटियांनी भूमि में शेख गफुर वो दोस्त महम्मद के बीच कब और किस प्रकार बटवारा दुआ था तथा इसका भी कोई उल्लेख नही है कि शेख गफुर के मवाजी 2–13–8६2 भूमि में उनके पुत्र वो पुत्रियों को कब और कैसे बटवारा हुआ और शेख अब्दुल हकीम को मवाजी 1 बिगहा 10 कठा 2 घुर 15 घुरकी भूमि कैसे प्राप्त हुआ। विवादित भूमि पर उभय पक्ष अपना अपना दखल कब्जा का दावा करते है जिसका पूर्ण विचारण के बाद ही निर्णय संभव है। उपरोक्त कथनों एवं विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वाही का वाद प्रथम दृष्ट्या वाद नही है तथा तुला का संतुलन वाही के पक्ष में नही है तथा निषेधाझा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वादी को कोई क्षति	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–136/2023

शेख मोहम्मद हारून..वादी

बनाम

अफरोज आलम एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 05.03.2025	नही होगी। अतः वाही का निषेधा आवेदन अन्दर दिनांक 14–8–2023 को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। आगामी दिनांक 23.04.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	